भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 149
उत्तर देने की तारीख 25 नवंबर, 2024
4 अग्रहायण, 1946 (शक)

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए खेल सहायता योजनाएं

149. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों, विशेषकर जो खिलाड़ी बनाना चाहते हैं, को सहायता एवं प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र सरकार की कोई योजना है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) और (ख) जी, हाँ। 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के बीच खेलों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने की स्कीम सहित खेलों के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों की है। केंद्र सरकार महत्वपूर्ण कमियों को दूर कर उनके प्रयासों में सहायता करती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच खेल सहित देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित स्कीम लागू करता है :

(i) खेलो इंडिया- राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम; (ii) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता; (iii) अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार; (iv) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार; (v) मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन; (vi) खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम; (vii) राष्ट्रीय खेल विकास निधि; और (viii) भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्र का संचालन।

उपर्युक्त योजनाओं का विवरण इस मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने बच्चों में समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए समग्र शिक्षा योजना शुरू की है, जिसमें खेल, शारीरिक गतिविधियां, योग और पाठ्येतर गतिविधियां शामिल हैं । इस स्कीम के तहत सरकारी स्कूलों को खेल उपकरणों के लिए सालाना 5,000 रुपये से 25,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाता है, साथ ही अगर खेलो इंडिया नेशनल स्कूल गेम्स में कम से कम दो छात्र पदक जीतते हैं तो प्रति स्कूल 25,000 रुपये तक का अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध होता है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप, दैनिक खेल गतिविधियों, देशज खेलों, आयु-उपयुक्त उपकरणों की खरीद, अवसंरचना के विकास और खेल समितियों और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की भूमिका पर जोर देने के लिए योजना के खेल दिशानिर्देशों को अगस्त 2023 में संशोधित किया गया था । इन अद्यतन दिशानिर्देशों को राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के साथ साझा किया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

*****